नम्बर /वर्ष 272/2012 अनवानी हनुमान आदि बनाम स्टेट

तारीख हुक्म	कार्यवाह मय इनीशियल जज	नम्बर व तारिख जो अहकाम की पालना में जारी हुए
19)3124	हमने उभयपक्षों की बहस प्रार्थना पत्र 11 सीपीसी पर सुनी गई। प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कार्यालय में विचाराधीन अनवानी वाद हनुमान बनाम सरकार में वादी ने अनुतोष चाहा गया हे कि करार दिया जावे की अराजी जरई प0न0 338/421(48) के किला न0 3 की 0.2530हैक भूमि रोही मौजा चक 22 एनटीआर तहसील नोहर की आवंटन शुद्वा खातेदारी भूमि है जिसमें वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 11 ता 14 बहिब मुश्तरका खातेदार काश्तकार है इस इस्तदुआ के साथ वाद पेश किया गया है इस ईस्तदुआ का तात्पर्य है कि आवंटन आदेश दिनांक 15.11.1978 बहक पाठशाला खारीज किया जावे। उक्त विषय वस्तु का उन्ही फरीकेन के मध्य राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ में अपील संख्या 74/2005 में दिनांक 13.08.2012 को निर्णय किया जा चुका है तथा इस निर्णय के विरूद्व अपील माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में अपील हनुमान आदि बनाम राजकीय पाठशाला अपील संख्या 7524/2012 विचाराधीन है अर्थात वाद में वर्णित इस्तदुआ का निर्णय पहले ही हो चुका है जो अपर न्यायालय में विचाराधीन है इसलिये विधि द्वारा वर्जित हैं अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद खारीज फरमाया जावें। अप्रांर्थी/वादी के अधिवक्ता ने अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंक़ित तथ्याों को दोहराते हुए निवेदन किया की वाद में तनकीयात कायम की जाकर वादीगण व प्रतिवादीगण की साक्ष्य व सबूत के आधार पर तनक़ी वाईज निर्णय होता है जबकि अपील में कोई तनकीयात कायम नही होती है इसलिये दावा एक न्यायिक प्रक्रिया होती है तथा अपील एक प्रशासनिक प्रक्रिया होती है इसलिये न्यायिक प्रक्रिया प्रशासनिक प्रक्रिया पर प्रीवेल करती है यानि ज्यादा अधिमान कानुन नजर में माना जाता है इसलिये दावा द्वारा इसलिये दावा द्वारा पूर्व हुए निर्णय में जब पक्षकार एक ही तथा वाद वस्तु एक होने पर रेसज्युडिकेटा लागु होता हैं मगर उक्त प्रकरण में किसी प्रकार का रेसज्यूडिकेटा का सिद्वान्त लागु नही होता है प्रार्थना पत्र जैरदफा 11 सीपीसी रेसज्यूडिकेटा का सिद्वान्त वही पर प्रयोज्य है जहां पर पक्षकार समान हो तथा वाद में समाहित विवाद पहले के वाद में वर्णित किया जा चुका हो यह तथ्यों व विधि मिश्रित प्रश्न पूर्ववर्ती वाद में कोई तनकी वाईज निर्णय नही हुआ है तथा अपी में हुऐ निर्णय के आधार पर दावा में रेसज्युडिकेटा का सिद्वान्त लागु नही होता है प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र 11 सीपीसी अंप्रार्थी/वादी को हैरान पेरशान करने के लिये पेश किया गया जो काबिल खारिज है। हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार रोही मौजा चक 22 एनटीआर के प0न0 338/421 (48) के किला न0 3 की 0.18 बिस्वा भूमि आवंटन करवाने के सम्बध में है तथा प्रतिकुल कब्जा के आधार पर भूमि आवंटन करवाना चाहते है जबकि उक्त भूमि प्राथमिक पाठशाला चक 22 एनटीआर को दिनांक 15.11.1978 को आवंटन की जा चुकी है जिसकी अपील [illegible] अपील अधिकारी हनुमानगढ के प्रस्तुत की गई जिसका [illegible] 13.08.2012 को किया गया जिसकी अपील मा[illegible] अजमेर में की गई जो वर्तमान में विचाराधीन है [illegible] राजस्व मण्डल स्थगन इस आधार पर नही दिया गया [illegible] वादी प्रश्नगत भूमि अतिक्रमी है। वर्तमान वाद में अंकित वाद विवरण एवं अपील में अंकित वाद	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:39:08 IST
Reason: SelfAttested

a\
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

विवरण एवं अनुतोष लगभग समान है तथा एक ही भूमि को आंवटन करवाने के सम्बध में है जो प्राथमिक पाठशाला चक 22 एनटीआर को दिनांक 15.11.1978 को आवंटन की गई थी

प्रार्थी वाद भूमि रोही मौजा चक 22 एनटीआर के प0न0 338/421(48) किला न0 3 को पाठशाला के नाम से हटा कर आवंटन करवाने का अनुतोष चाहा गया है जो न्यायालय में विचाराधीन वाद में भी यही अनुतोष चाहा जा रहा है तथा अपील में भी यही अनुतोष चाहा गया है तथा वाद में वर्णित तथ्य एवं अपील में वर्णित तथ्य लगभग एक सामान है एव पक्षकार भी सभी समान है।

वादी/प्रार्थी का कथन है कि तनकीयात के आधार पर निर्णय नही हुआ इसलिये रेसज्यूडिकेटा का सिद्वान्त लागू नही है स्वीकार योग्य नही है क्योकि दिनांक 15.11.1978 को आवंटन नियमों के तहत भूमि आवंटन की गई थी आवंटन नियमों में तनकीआत कायम करने का प्रावधान नही था।

अतः हस्तगत वाद में वर्णित भूमि एवं पक्षकार तथा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में विचाराधीन अपील में वर्णित भूमि एवं पक्षकार एव अनुतोष एक समान होने के कारण प्रार्थी/प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर वाद वादी खारिज किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:39:08 IST
Reason: SelfAttested